

प्रश्न सं. [क. 57]

परिशिष्ट का प्रपत्र-1

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 57 के प्रश्नांश
"क" की जानकारी।

बैठक का दिनांक - 24-12-2021 सदस्य- श्री विष्णु खत्री

भोपाल को-आपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड भोपाल
विधान सभा प्रश्न 57 की जानकारी

बैरसिया विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों के ग्रामों एवं कृषकों की जानकारी			
परिशिष्ट 1			
क्रमांक	नाम समिति	ग्रामों की संख्या	कृषकों की संख्या
1	अरवलिया	20	3640
2	रायपुर	13	3240
3	परवलिया सड़क	22	4985
4	गोंदरमऊ	15	3907
5	सेमरा इमलिया	1	39
6	लतरिया	14	1871
7	सौहाया	14	2074
8	पीपलखेड़ी	16	2202
9	बवधिया	16	1962
10	इंगरिया	14	1918
11	ललोई	23	2227
12	बैरसिया	43	3477
13	दिल्लोद	17	4174
14	गूनगा	11	2245
15	रतुआ रतनपुर	15	2071
16	धमरा	5	1475
17	नज़ीराबाद	54	3903
18	बागसी	40	3748
19	गढाकलां	13	1104
20	नाथसमन्द	25	3062
	योग	391	53324

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
अध्यक्ष पंचायत शाखा
अध्यक्ष अधिकारी विभाग

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 57 के प्रश्नांश "ख" की
जानकारी

बैठक का दिनांक - 24-12-2021 सदस्य - श्री विष्णु खत्री

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश
क्रमांक/साख/विधि/2017/3159 भोपाल, दिनांक 08.09.2017
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित,
समस्त मध्यप्रदेश।

विषय- प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु सक्षमता मापदंड।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/साख/173/04/4682, दिनांक 8.10.04

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा सक्षमता मापदंड निर्धारित किये गये थे। पैक्स के स्थापना एवं अन्य व्ययों में बढ़ोतरी होना, अल्पावधि कृषि ऋण में देय मार्जिन का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित बेस रेट से होना, विभिन्न फसलों हेतु ऋणमानों में वृद्धि होना, प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में समितियों के ऋण व्यवसाय में अंतर होना आदि कारणों से उक्त निर्धारित मापदण्डों में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन के संबंध में पैक्स समितियों के ऋण व्यवसाय, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति तथा कृषक सदस्यों की सुविधा को देखते हुये, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक एवं विभागीय अधिकारियों से विस्तृत विचारविमर्श करने के उपरान्त निम्नानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :-

- (1) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का न्यूनतम ऋण व्यवसाय रूपये 3 करोड़ होना चाहिए।
- (2) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के गठन हेतु न्यूनतम 10 कि.मी. की परीधि का कार्यक्षेत्र, 5000 हेक्टेयर कृषि रकबा तथा 1000 सदस्य संख्या होनी चाहिए।

8/09/17
(आशुतोष अवस्थी)

आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.
भोपाल, दिनांक 08.09.2017

पु. क्रमांक/साख/विधि/2017/3159
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, सहकारिता, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
5. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
6. उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला समस्त मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8/09/17
आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र.